

शिक्षा

14

शिक्षा

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2020–21 में दिसंबर तक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत 28.66 लाख विद्यार्थी लाभान्वित।
- वर्ष 2020–21 में सरस्वती सायकल योजना के तहत 1.63 लाख छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- वर्ष 2020–21 में निःशुल्क गणवेश योजना अंतर्गत 22.08 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित।
- सत्र 2020–21 के लिए यू डाइस के आधार पर राज्य में सकल नामांकन दर प्राथमिक विद्यालयों में 96.31 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 92.81 है।
- वर्ष 2021–22 में 186 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 34996 सीट स्वीकृत हैं।
- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षित एवं प्रमाणित युवाओं में से 2,55,456 युवाओं को नियोजित किया गया है।
- वर्ष 2020–21 में शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 2,59,451 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत थे।
- सत्र 2021–22 में 24 नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें 08 नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय भी शामिल हैं।

शिक्षा

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग, वृद्ध एवं बच्चों के स्तर में विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना प्रमुख है।

स्कूल शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था का कार्य राज्य स्तर पर लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जा रहा है। संभाग स्तर पर 05 संभागीय कार्यालय सहित जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की संख्या 29 है, यह कार्यालय 28 राजस्व जिलों में स्थित है। वर्तमान वर्ष में जांजगीर जिला को विभक्त कर नया शिक्षा जिला सक्ती का निर्माण किया गया है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय 146 है, जिनमें से 85 कार्यालय आदिम जाति विकासखण्डों में एवं 61 सामुदायिक विकासखण्डों में हैं। इनके माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है।

विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार हैं :

1. प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा व्यवस्था (आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को छोड़कर)।
2. प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन।
4. अशासकीय शैक्षणिक संस्थान को अनुदान एवं उन पर नियंत्रण।
5. छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों का निर्धारण/सामयिक पुनरीक्षण।
6. शिक्षकों की भरती, प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण की व्यवस्था।
7. शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार।
8. शिक्षा में नवाचार एवं अनुसंधान।
9. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण तथा वितरण की व्यवस्था।
10. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम।
11. शालाओं में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की व्यवस्था।
12. परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

13. निःशक्त छात्रों की शिक्षा व्यवस्था ।
14. समग्र शिक्षा अभियान का संचालन ।
15. वयस्क असाक्षर (विशेषकर 15 से 35 वर्ष) के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ।
16. नवसाक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा का प्रबंध ।
17. सबके लिए शिक्षा व्यवस्था ।
18. मदरसा शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का आधुनिकीकरण ।
19. संस्कृत शिक्षा का विकास ।
20. शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्रदाय करना ।

14.1 स्कूल शिक्षा विभाग:-

14.1.1 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम :- यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है शासकीय विद्यालयों, अनुदान एवं स्थानीय निकायों एवं बाल श्रमिक विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को कार्यक्रम अन्तर्गत पका हुआ गरम पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना । इससे विद्यालयों में शाला त्याग दर में कमी आई है, एवं छात्रों में कुपोषण दूर हुआ है । योजना के तहत वर्षवार प्राप्त उपलब्धियां लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि तालिका 14.1 में दर्शित है ।

तालिका 14.1 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम				
क्र.	वर्ष	आबंटन (करोड़)	व्यय (करोड़)	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1	2017-18	564.24	498.98	31.28 लाख छात्र
2	2018-19	599.22	413.76	30.51 लाख छात्र
3	2019-20	615.16	336.74	29.13 लाख छात्र
4	2020-21 (दिसं. 2020)	644.51	401.22	28.66 लाख छात्र

14.1.2 बालिका प्रोत्साहन योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना) :-

- ❖ केन्द्र प्रवर्तित योजना राज्य में प्रभावशील ।
- ❖ योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल. परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की समस्त छात्राएं योजना की हितग्राही ।
- ❖ 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3000 /- रुपये छात्रवृत्ति की पात्रता ।
- ❖ छात्रवृत्ति की राशि सीधे लाभान्वित छात्राओं के पासबुक में जमा करने का प्रावधान ।

14.1.3 राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

- ❖ केन्द्र प्रवर्तित योजना राज्य में प्रभावशील।
- ❖ परीक्षाएं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित।
- ❖ कक्षा 8वीं में मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
- ❖ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट एवं आरक्षण की पात्रता।
- ❖ गैर अनुदान प्राप्त शाला के विद्यार्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सकते।
- ❖ सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत अंक होने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता।
- ❖ परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न हो।

14.1.4 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय :- प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान शालाओं के समस्त बालक-बालिकाओं को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शाला जाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना। कक्षा 1 से 10 तक सभी छात्र/छात्राएं पात्र हैं। योजना के तहत वर्षवार उपलब्धियां-लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि तालिका 14.2 में दर्शित है।

तालिका 14.2 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय (करोड़ रु.में)				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित छात्र-छात्राओं की संख्या
1	2017-18	147.03	88.14	56.50 लाख
2	2018-19	186.75	84.87	57.63 लाख
3	2019-20	230.12	109.14	51.60 लाख
4	2020-21	109.18	—	

14.1.5 निःशुल्क गणवेश योजना :-संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 स्तर के समस्त छात्र-छात्राओं के लिए दो सेट निःशुल्क गणवेश दिए जाते हैं। सत्र 2012-13 में समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों को स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अन्तर्गत प्रति बालक-बालिका का राशि रु. 271/- के मान से दो सेट गणवेश हेतु राशि प्रावधानित की गई। जिन बच्चों को राज्य शासन के बजट से गणवेश प्रदान किए जा रहे हैं, उन्हें पूर्ववत् राज्य शासन के बजट से ही गणवेश प्रदाय किए जाते रहेंगे। वर्तमान में एकरूपता हेतु राशि रुपये 540.52 पैसा प्रति गणवेश की दर निर्धारित की गई है। योजना के तहत वर्षवार उपलब्धियां तालिका 14.3 में दर्शित है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका 14.3 निःशुल्क गणवेश योजना				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1	2017-18	16,880.00 लाख	14,305.00 लाख	31.60 लाख छात्र-छात्राएं
2	2018-19	20,167.00 लाख	14,460.00 लाख	32.20 लाख छात्र-छात्राएं
3	2019-20	21,315.00 लाख	15,079.00 लाख	29.01 लाख छात्र-छात्राएं
4	2020-21	76.50 लाख	—	22.08 लाख छात्र-छात्राएं

14.1.6 सरस्वती सायकल योजना :-संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कक्षा 9वीं के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार के छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

योजना के तहत वर्षवार उपलब्धियां, लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि आदि का विवरण तालिका 14.4 में दर्शित है।

तालिका 14.4 सरस्वती सायकल योजना				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2017-18	6100.00 लाख	5,938.55 लाख	1.83 लाख छात्राएं लाभान्वित
2	2018-19	6500.00 लाख	2,589.29 लाख	1.84 लाख छात्राएं संभावित
3	2019-20	6450.00 लाख	01.74 लाख	1.74 छात्राएं संभावित लक्ष्य
4	2020-21	6500.00 लाख	—	1.63 छात्राएं संभावित

14.1.7 छात्र दुर्घटना बीमा :-स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र-छात्राएं एवं महाविद्यालयीन छात्र/छात्राएं दुर्घटना बीमा के अंतर्गत मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 1,00,000/- की क्षतिपूर्ति एवं आंशिक अपंगता पर 50,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति एवं भैषजिक उपचार हेतु 25,000/- अधिकतम छात्र दुर्घटना बीमा दिया जाता है।

योजना के तहत वर्ष 2017-18 से मृत्यु पर बीमा राशि की दर रुपये 10 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की गई, वर्षवार हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि आदि का विवरण तालिका 14.5 में दर्शित है।

तालिका 14.5 छात्र दुर्घटना बीमा				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	हितग्राहियों की संख्या
1	2017-18	368.00	340.25	341
2	2018-19	368.00	272.25	316
3	2019-20	410.00	155.00	276
4	2020-21	410.00	153.00	419

14.1.8 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :- योजना के तहत वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जनजाति की 67,304 छात्राओं को राशि रु. 336.52 लाख तथा अनुसूचित जाति की 30,135 छात्राओं को राशि रु. 150.68 लाख का भुगतान किया गया। वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जनजाति की 58,705 छात्राओं को राशि रु. 293.53 लाख तथा अनुसूचित जाति की 25,507 छात्राओं को राशि रु. 127.54 लाख का भुगतान किया गया।

14.1.9 अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना :- योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 7,282 विद्यार्थियों को राशि रु. 219.71 लाख का भुगतान किया गया था। वर्ष 2020-21 में 6,503 विद्यार्थियों को राशि रु. 196.24 लाख का भुगतान किया गया है।

14.1.10 मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :- योजना के तहत वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति के 300 विद्यार्थियों को राशि रु. 45.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के 700 विद्यार्थियों को राशि रु. 105.00 लाख का भुगतान किया गया था। वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति के 288 विद्यार्थियों को राशि रु. 43.20 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के 672 विद्यार्थियों को राशि रु. 100.80 लाख का भुगतान किया गया है।

14.1.11 राज्य छात्रवृत्ति योजना (प्री-मेट्रिक एवं पोस्ट मेट्रिक):- वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के 19,85,597 विद्यार्थियों को राशि रु. 127.57 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के 19,37,501 विद्यार्थियों को राशि रु. 123.86 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है।

14.2 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्र. 23 सन् 1965) द्वारा शासित एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है। मण्डल का कार्य संचालन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, विनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार होता है। छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल का गठन 20 जुलाई 2001 को हुआ है।

14.2.1 मण्डल के मुख्य कार्य :-

1. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि प्रमाण पत्र परीक्षा एवं डी.एड. की परीक्षाओं का संचालन। परीक्षाफल घोषित कर अंकसूचियां जारी करना।
2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु शासन को सलाह देना।
3. पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण कार्य
4. छत्तीसगढ़ में स्थित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की मान्यता
5. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के स्तर को उच्च करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना।
6. विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के उत्साहवर्धन एवं प्रेरणा के लिये प्रयास करना।
7. अन्य गतिविधियां

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

14.2.2 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षाएं मुख्य हैं। वर्ष 2014–2020 तक परीक्षा संबंधी संख्यात्मक जानकारी इस प्रकार है—

तालिका 14.6 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा संबंधी संख्यात्मक						
वर्ष	हाई स्कूल			हायर सेकेण्डरी		
	प्रविष्ट	उत्तीर्ण	प्रतिशत	प्रविष्ट	उत्तीर्ण	प्रतिशत
2014	427446	229917	54.00	268891	195115	72.86
2015	426675	227595	53.34	290777	211460	72.72
2016	433218	236073	54.00	277114	202646	73.43
2017	401641	242918	60.51	271994	207133	76.36
2018	381737	258573	68.04	270043	207111	77.00
2019	388120	261177	68.20	262492	203893	76.43
2020	384761	283157	73.62	275736	216526	78.59

तालिका 14.7 परीक्षा वर्ष 2020 तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं की जानकारी				
क्र.	परीक्षा का नाम	मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या		
		शासकीय	अशासकीय	कुल संस्था
1	हाईस्कूल	4727	206	7033
2	हायर सेकण्डरी	2743	1402	4145

तालिका 14.8 परीक्षा वर्ष 2021 के परीक्षा केन्द्रों की जानकारी		
क्र.	परीक्षा का नाम	केन्द्र संख्या
1	हाईस्कूल	2305
2	हायर सेकण्डरी (10+2)	2214
3	हायर सेकण्डरी व्यावसायिक	68

तालिका 14.9 नवीन विद्यालयों की स्थापना													
क्र.	स्तर	नवीन प्रारंभ की गई विद्यालयों की संख्या											योग
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	प्राथमिक शाला	1	319	193	8	45	0	0	4	0	0	0	579
2	माध्यमिक	404	85	140	30	35	0	0	15	1	0	0	735
3	हाईस्कूल	9	218	1033	0	70	10	35	184	140	145	18	2138
4	हायर सेकेण्डरी	31	95	119	217	150	9	12	98	116	127	22	1142
	योग	445	717	1485	255	300	19	47	301	257	272	40	4594

स्रोत : यूडाइस डाटा 2019–20

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका 14.10 शैक्षणिक संस्थान एवं नामांकन वर्ष 2020-21					
क्रमांक	संस्था का नाम	शैक्षणिक संस्थाएं	संस्थावार नामांकन		
			छात्र	छात्राएं	योग
1	प्राथमिक	32,715	13,56,104	12,95,380	26,51,484
2	माध्यमिक	16,393	7,49,495	7,31,886	14,81,381
3	हाई स्कूल	2,726	4,61,221	4,82,587	9,43,808
4	हायर सेकेण्डरी	4,469	2,78,980	3,21,550	6,00,530
	कुल योग	56,303	28,45,800	28,31,403	56,77,203

स्रोत : यूडाइस डाटा 2019-20

तालिका 14.11 शिक्षक संख्या वर्ष 2020-21							
क्रमांक	संस्था का नाम	संस्थावार शिक्षक संख्या			प्रशिक्षित	प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत	शिक्षक छात्र अनुपात
		पुरुष	महिला	योग			
1	प्राथमिक	65,901	71,302	1,37,203	1,16,921	85	19
2	माध्यमिक	36,551	25,097	61,648	56,050	91	24
3	हाई स्कूल	13,262	12,235	25,497	21,642	85	37
4	हायर सेकेण्डरी	23,824	18,416	42,240	37,326	88	14
	कुल योग	1,39,538	1,27,050	2,66,588	2,31,939	87	21

स्रोत : यूडाइस डाटा 2019-20

14.3 समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़

- समग्र शिक्षा, भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक प्रशिक्षण को सम्मिलित करती हुयी विद्यालयीन शिक्षा की एकीकृत केन्द्र प्रवर्तित योजना है। वर्तमान में इसमें भारत शासन का अंशदान 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का योगदान 40 प्रतिशत है।
- इसके अंतर्गत मानदण्ड अनुसार 03 कि.मी. पर पूर्व माध्यमिक शाला, 05 कि.मी. पर माध्यमिक शाला एवं 07 कि.मी. पर उच्चतर माध्यमिक शाला उन्नयित कर संचालित की जा रही है।
- आवश्यकतानुसार उन्नयित शालाओं का भवन, पोर्टा केबिन, आवासीय विद्यालय एवं कन्या छात्रावास, पूर्व से संचालित शालाओं में कक्ष, पेयजल सुविधा, बालक/बालिका टॉयलेट सुविधा एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का ध्यान रख कर निर्माण कार्य किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त उन्नयित विद्यालयों हेतु शिक्षक वेतन, शिक्षक प्रशिक्षण, आर टी ई अंतर्गत प्रदान की जा रही समस्त सुविधाएं, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को स्कार्ट एलाउंस, ट्रांसपोर्ट एलाउंस, ब्रेल बुक एवं छात्रवृत्ति तथा सहायक सामग्री आदि उपलब्ध कराई जाती हैं।
- भारत शासन द्वारा सत्र 2013-14 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत कन्या छात्रावास, आई ई डी एस एस [समावेशी शिक्षा], व्यवसायिक शिक्षा एवं आई सी टी

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

योजनाओं को शामिल किया गया है। राज्य में सत्र 2014-15 से ये सभी योजनाएँ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित हैं।

14.4 शैक्षणिक सूचकांक :- सत्र 2020-21 के लिए राज्य के विद्यालयीन शिक्षा से संबंधित समस्त मुख्य सूचकांक यू-डाईस 2020-21 के आधार पर निम्नानुसार हैं:-

तालिका क. 14.12 सकल नामांकन दर (Gross Enrolment Ratio)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	96.31	96.30	96.31
उच्च प्राथमिक स्तर	92.52	93.11	92.81
माध्यमिक स्तर	83.19	89.39	86.24
उच्चतर माध्यमिक स्तर	52.30	63.12	57.62

तालिका क. 14.13 शुद्ध नामांकन दर (Net Enrolment Ratio)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	90.29	90.56	90.42
उच्च प्राथमिक स्तर	75.27	76.00	75.63
माध्यमिक स्तर	55.57	60.29	57.89
उच्चतर माध्यमिक स्तर	34.38	42.24	38.25

तालिका क. 14.14 समायोजित शुद्ध नामांकन दर (Adjusted Net Enrolment Ratio)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	92.55	92.90	92.72
उच्च प्राथमिक स्तर	79.14	80.07	79.60
माध्यमिक स्तर	59.37	64.83	62.06
उच्चतर माध्यमिक स्तर	54.87	63.97	59.35

तालिका क. 14.15 ठहराव दर (Retention Rate)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	92.39	93.22	92.79
उच्च प्राथमिक स्तर	98.30	99.41	98.85
प्रारंभिक स्तर	86.72	88.99	87.83
माध्यमिक स्तर	71.61	79.08	75.26
उच्चतर माध्यमिक स्तर	40.49	49.00	44.66

तालिका क. 14.16 छात्र शिक्षक अनुपात (PTR)	
स्तर	योग
प्राथमिक स्तर	22
उच्च प्राथमिक स्तर	23
माध्यमिक स्तर	21
उच्चतर माध्यमिक स्तर	29

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका क. 14.17 शाला त्यागी दर (DOR)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर 1 से 5	0.88	0.59	0.74
उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8	4.79	3.27	4.03
प्रारंभिक स्तर 1 से 8	2.84	1.93	2.38
माध्यमिक स्तर 9 से 10	16.38	11.68	13.13
उच्चतर माध्यमिक स्तर 9 से 12	11.18	8.10	9.64

तालिका क. 14.18 अंतरण दर (Transition Rate)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक से उच्च प्राथमिक	95.54	96.71	96.11
उच्च प्राथमिक से हाई स्कूल	87.22	90.74	88.97
हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल	71.91	76.21	74.17

तालिका क. 14.19 बालिकाओं का प्रतिशत एवं बालिका समानता सूचकांक		
स्तर	बालिकाओं का प्रतिशत	बालिका समानता सूचकांक
प्राथमिक स्तर	48.79	0.95
उच्च प्राथमिक स्तर	49.37	0.97
माध्यमिक स्तर	51.01	1.04
उच्चतर माध्यमिक स्तर	53.89	1.17

तालिका 14.20 प्रबंधनवार शालाओं की संख्या						
क्र.	प्रबंधन	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	हाई स्कूल	हायर सेकेंडरी	योग
1	स्कूल शिक्षा विभाग	30572	13173	1927	2719	48391
2	आदिम जाति विभाग	2	24	3	35	64
3	अनुदान प्राप्त शाला	209	111	11	99	430
4	अशासकीय शालाएँ	1780	3011	783	1557	7131
5	अन्य	0	2	0	3	5
6	माडल स्कूल	0	0	0	73	73
7	समाज कल्याण विभाग	9	3	2	2	16
8	केन्द्रीय विद्यालय	1	8	0	27	36
9	नवोदय विद्यालय	0	0	5	23	28
10	सैनिक स्कूल	0	0	0	1	1
11	रेल्वे स्कूल	0	0	1	3	4
12	तिब्बतन स्कूल	1	0	0	0	1
13	मान्यता प्राप्त मदरसा	171	110	0	1	282
14	गैर मान्यता प्राप्त मदरसा	21	11	0	0	32
	योग	32766	16453	2732	4543	56494

स्रोत : यूडाइस डाटा 2020-21

14.5 तकनीकी शिक्षा

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक संस्थाओं, फॉर्मसी संस्थाओं, मैनेजमेंट संस्थाओं, एम.सी.ए. संस्थाओं एवं आर्किटेक्चर संस्थाओं में दी जाती है। उक्त संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा कास्ट्यूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन, डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट, डिप्लोमा फॉर्मसी, डिप्लोमा आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फॉर्मसी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.टेक., एम. फॉर्मसी, एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है।

वर्तमान में राज्य में 03 शासकीय, 01 सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, रायपुर, 01 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, 01 विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, अंबिकापुर, 02 स्वशासी-स्ववित्तीय एवं 25 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय कुल प्रवेश क्षमता 11,291 के साथ संचालित है।

राज्य में 32 शासकीय, 01 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई एवं 14 निजी पॉलीटेक्निक संस्था स्थापित है, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 8,296 है। सभी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सेमेस्टर पद्धति से अध्यापन व परीक्षा की व्यवस्था लागू है। राज्य में 01 विश्वविद्यालयीन फॉर्मसी संस्था एवं 33 निजी संस्थाओं में बी.फॉर्मसी पाठ्यक्रम, कुल 3,192 प्रवेश क्षमता, 01 विश्वविद्यालयीन फॉर्मसी संस्था एवं 24 निजी संस्थाओं में एम.फॉर्मसी पाठ्यक्रम, कुल 314 प्रवेश क्षमता, 01 शासकीय एवं 43 निजी संस्थाओं में डी.फॉर्मसी पाठ्यक्रम कुल 2,741 प्रवेश क्षमता के साथ संचालित हैं। राज्य में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयीन संस्थाओं एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 1,360 प्रवेश क्षमता के साथ एम.टेक. पाठ्यक्रम संचालित है साथ ही 01 विश्वविद्यालयीन संस्था एवं 12 निजी संस्थाओं में 1,155 प्रवेश क्षमता के साथ एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है। 02 विश्वविद्यालयीन संस्थाओं एवं 05 निजी संस्थानों में 407 प्रवेश क्षमता के साथ एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है। राज्य में 10 प्रवेश क्षमता के साथ 01 निजी आर्किटेक्चर संस्था भी संचालित है।

राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक स्तर के 24 पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर पर 37 तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर के 19 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हैं। राज्य के शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक संस्थान छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से सम्बद्ध हैं तथा इनमें संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। फॉर्मसी संस्थाओं को फॉर्मसी कॉउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली तथा आर्किटेक्चर संस्थाओं को कॉउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।

14.6 त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम:- राज्य में कुल 47 पॉलीटेक्निक संस्थाएं संचालित है। जिनमें 04 शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, 28 शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, 01 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई एवं 14 निजी सहशिक्षा पॉलीटेक्निक शामिल हैं। इन संस्थाओं में निम्नानुसार 19 त्रिवर्षीय एवं 01 द्विवर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित हैं।

14.7 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

14.7.1 योग्यता एवं योग्यता सह-साधन छात्रवृत्तियाँ :- शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिये योग्यता छात्रवृत्ति और योग्यता सह-साधन छात्रवृत्ति रु. 1,000 प्रति माह तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में रु. 600 प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था है। राज्य के बाहर अध्ययनरत छत्तीसगढ़ राज्य के छात्र-छात्राओं को रु. 2,000 प्रतिमाह की दर से योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है।

14.7.2 बी.पी.एल. छात्रवृत्ति:- छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, जिनके पालक बी.पी.एल. कार्डधारी हैं, उनके लिए यह छात्रवृत्ति सत्र 2007-2008 से लागू की गई है।

इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. विद्यार्थी को राशि रु. 1,000 प्रतिमाह एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. विद्यार्थी को राशि रु. 500 प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है।

14.7.3 ट्यूशन फी व्हेवर स्कीम (टी.एफ.डब्ल्यू):- यह योजना एआईसीटीई/पीसीआई/सीओए के दिशा निर्देशानुसार लागू की जाती है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मेरिट के आधार पर शिक्षण शुल्क में छूट देकर प्रोत्साहन किया जाना है। यह योजना स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.सी.ए. में भी यह योजना लागू है।

शासकीय संस्थाओं में जहाँ विगत अकादमिक वर्ष में संबंधित कोर्स में स्वीकृत सीटों पर कम से कम 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हुआ हो, उन संस्थाओं में अतिरिक्त प्रवेश न होने पर भी 5 प्रतिशत सीटों पर TFW देय होगा। मेरिट के आधार पर इन सीटों पर प्रवेशित छात्र-छात्राओं को प्रवेशित संस्था की निर्धारित शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा। छात्र-छात्राओं के पालक/अभिभावक की समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14.7.4 छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क में छूट :- छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित स्नातकोत्तर, स्नातक एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है।

14.7.5 मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना :- तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थियों से बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के भार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि के उपरांत ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान देने की योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गई है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका 14.21 उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना (राशि करोड़ में)			
क्र.	सत्र	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	ऋण ब्याज अनुदान की कुल राशि
01	2016-17	773	1.64 करोड़
02	2017-18	1540	2.76 करोड़
03	2018-19	2094	3.96 करोड़
04	2019-20	2060	4.02 करोड़

14.8 सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सीपेट)

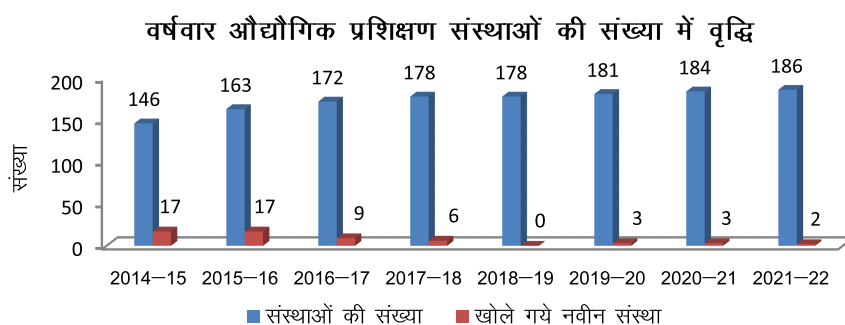
14.8.1 सिपेट का उद्देश्य:— विभिन्न शैक्षणिक, तकनीकी एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से देश में प्लास्टिक प्रसंस्करण तथा सहायक उद्योगों हेतु तकनीकी कौशल प्राप्त श्रमशक्ति का निर्माण, प्लास्टिक उद्योगों के क्षेत्र में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी परामर्श सहित मोल्ड्स, डाई और प्लास्टिक उत्पादों के डिजाईन तथा प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध एवं विकास को गति देना है।

14.8.2 महत्वपूर्ण लक्ष्य :- इसके अलावा सिपेट रायपुर का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के दीर्घकालीन एवं लघुकालीन पाठ्यक्रम चलाया जाना है। जिसके अंतर्गत ए.आई.सी.टी.ई. (AICTE) नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक पाठ्यक्रम जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग एण्ड टेस्टिंग (PGD-PPT), डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी (DPT), डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी (DPMT), जिन पाठ्यक्रमों की अवधि 2 वर्ष से 03 वर्ष तक की हैं। इसके अंतर्गत 328 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा सत्र 2017-18 से बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.E. in Plastics Engineering) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त 04 वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन प्रारंभ हुआ है जिसमें कुल 131 प्रशिक्षणार्थी नामांकित हैं साथ ही जून 2021 में बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.E. in Plastics Engineering) की प्रथम शाखा के 30 छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुए एवं उत्तीर्ण छात्रों को देश के विभिन्न नामित कंपनियों ने रोजगार दिया गया, जिसकी अधिकतम वार्षिक आय लगभग रु. 6.00 लाख है।

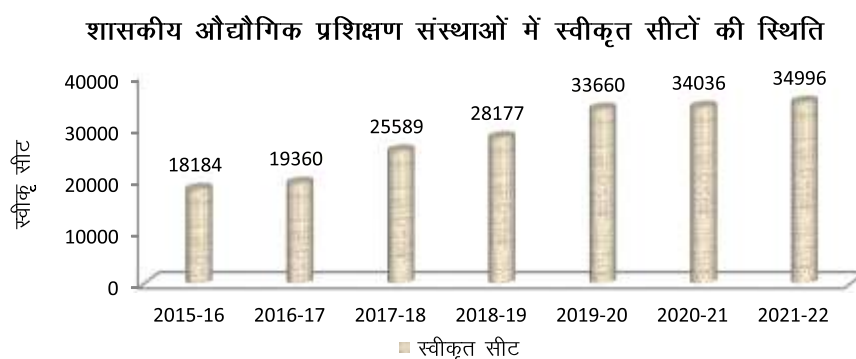
14.9 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें :- वर्तमान एवं भविष्य की जनशक्ति की आवश्यकताओं एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार मुहैया कराना तथा प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित करने तथा छत्तीसगढ़ राज्य में कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिये छ.ग. शासन कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालनालय प्रशिक्षण द्वारा भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, महानिदेशालय, प्रशिक्षण, के राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.वी.टी.) नई दिल्ली के मापदण्ड के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 186 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका 14.22 वर्षवार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि		
वर्ष	संस्थाओं की संख्या	खोले गये नवीन संस्था
2014-15	146	17
2015-16	163	17
2016-17	172	09
2017-18	178	06
2018-19	178	0
2019-20	181	03
2020-21	184	03
2021-22	186	02



तालिका 14.23 विगत वर्षों में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत सीटों की स्थिति	
वर्ष	स्वीकृत सीट
2015-16	18184
2016-17	19360
2017-18	25589
2018-19	28177
2019-20	33660
2020-21	34036
2021-22	34996



► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

14.10 राज्य में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थिति :

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें		क.	जिला	शासकीय औ.प्र.संस्थाओं की स्थिति		
				संस्थायें	स्वीकृत सीट्स	रिमार्क
जिले	28	1	बालोद	8	1540	
संस्थायें	186	2	बेमेतरा	5	676	
अनुसूचित जनजाति विशेष संस्थायें	09	3	बलरामपुर	7	648	
महिलाओं के लिये विशेष	09	4	बस्तर	9	1648	
संचालित व्यवसाय	49	5	बीजापुर	4	448	
इंजीनियरिंग व्यवसाय	34	6	बिलासपुर	9	2936	
नॉन-इंजीनियरिंग व्यवसाय	15	7	बलौदाबाजार-भाटापारा	7	1692	
कुल प्रशिक्षण क्षमता (सीट्स)	34996	8	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	4	496	
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र		9	धमतरी	9	1736	
		10	दुर्ग	6	3016	
जिले	21	11	कबीरधाम	4	412	
संस्थायें	109	12	जशपुर	8	888	
संचालित व्यवसाय	19	13	जौजगीर-चौपा	12	1748	
इंजीनियरिंग व्यवसाय	13	14	गरियाबंद	5	704	
नॉन-इंजीनियरिंग व्यवसाय	06	15	कोरिया	6	952	
कुल प्रशिक्षण क्षमता (सीट्स)	19464	16	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	3	688	
		17	कोरबा	6	1448	
		18	कोण्डागांव	7	896	
		19	नाराणपुर	2	360	
		20	मुंगेली	3	360	
		21	महासमुन्द	5	976	
		22	रायपुर	10	2808	
		23	रायगढ़	10	1940	
		24	राजनांदगांव	11	1584	
		25	उत्तर बस्तर (कांकेर)	8	1360	
		26	सरगुजा	8	1436	
		27	सूरजपुर	7	1184	
		28	सुकमा	3	416	
			योग	186	34996	

14.11 राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी संरचना :- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा “छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013” के तहत अपने युवा साथियों को अपना कौशल विकास करने के लिए कानूनी अधिकार दिया है। छत्तीसगढ़, देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने ऐसा कानून बनाया है, जिसमें 14 से 45 वर्ष की आयु सीमा के हमारे युवा साथी अपनी रुचि के अनुसार हुनर प्राप्त करने के लिए कलेक्टर को आवेदन देकर संबंधित कोर्स में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। युवाओं को कौशल विकास के लिए अपने शहर या अपने गांव की जरूरतों के अनुसार तथा रुचि के अनुसार हुनर प्राप्त करने के लिए कानून में वर्तमान में 36 सेक्टर के 706 कोर्स उपलब्ध है।

14.11.1 राज्य एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का कार्य एवं उत्तरदायित्व :-

प्रदेश में कौशल विकास के गुणवत्तायुक्त क्रियान्वयन समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए समिति द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार हैं :-

- प्रत्येक जिले में लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के दिशा-निर्देश अनुरूप आम लोगों को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना।
- कौशल प्रशिक्षण से संबंधित समस्त शासकीय विभागों को कौशल विकास क्षेत्र में उन्नयन हेतु प्रेरणा देना।
- विभागीय कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत संचालित कौशल प्रशिक्षण हेतु लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित करने एवं नियोजन का अवसर प्रदान के लिए महत्वपूर्ण कार्य दायित्व का निर्वहन।
- आजीविका कॉलेज द्वारा पढ़े-लिखे अत्यन्त गरीब एवं जरूरतमंद युवक/युवतियों तथा बेरोजगारों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आजीविका कॉलेज में कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु मापदंड के अनुरूप क्षेत्रीय निवासियों की ओर ध्यान आकर्षित करना।
- आजीविका कॉलेज उद्यमिता विकास केन्द्र स्थापित करना।
- प्रशिक्षित युवाओं को नियोजित एवं स्वरोजगार प्रदाय करने हेतु उद्योगों एवं निजी संस्थानों के नियोजनकर्ताओं से टाई-अप की व्यवस्था करना।
- कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों से मध्यस्थता का कार्य।
- स्कूल drop-out बेरोजगारों को वर्तमान बाजारों की आवश्यकताओं के अनुरूप अल्प-अवधि के रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदाय करना।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

- बेरोजगार युवक/युवतियों को वर्तमान जीवनशैली में जीने के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध प्राप्त करने हेतु योग्य बनाना।

14.11.2 मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना – स्वयं का रोजगार स्थापित करने ऋण योजना :- छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को उनकी अभिरुची एवं योग्यता के आधार पर कौशल विकास के क्षेत्र अंतर्गत लघु अवधि के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण पश्चात् युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्म-निर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कौशल स्व-रोजगार योजना अंतर्गत बैंक के माध्यम से ऋण आधारित शासकीय अनुदान राशि प्रदान करने हेतु वर्ष 2018-2023 तक की अवधि के लिए मुख्यमंत्री कौशल स्व-रोजगार योजना संचालित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राहियों को उद्योग/सेवा/व्यवसाय के रूप में स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए राशि रु 83 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है।

14.11.3 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, केन्द्र प्रवर्तित –राज्य प्रबंधित (PMKVY-CSSM) :- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (केन्द्र प्रवर्तित-राज्य प्रबंधित) का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जिले के लाईवलीहुड कॉलेज को पंजीकृत कर किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 14,254 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, प्रशिक्षित युवाओं में से कुल 3,723 युवाओं को नियोजन प्राप्त हो चुका है।

14.11.4 मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना:- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एक कन्वर्जेन्स योजना है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कौशल विकास हेतु पात्र युवाओं को एक ही मंच पर एकरूपता के साथ (यथा कोर्स, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाण-पत्र इत्यादि) कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (NSQF) आधारित विभिन्न स्तरों के 706 कोर्सेस कौशल प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं। वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मद में शासन द्वारा राशि रु. 83.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत अब तक कुल 4,67,565 युवाओं को विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित एवं प्रमाणीकरण किया गया है। प्रशिक्षित एवं प्रमाणित युवाओं में से 2,55,456 युवाओं को नियोजित किया गया है।

तालिका 14.24 मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत वर्षवार प्रशिक्षण एवं नियोजन				
वर्ष	प्रशिक्षण	नियोजन		
	प्रशिक्षित	रोजगार	स्वरोजगार	कुल नियोजित
2013-14	13564	1066	2361	3427
2014-15	39628	6481	8383	14864
2015-16	74564	15033	24097	39130
2016-17	103792	26582	30300	56882
2017-18	144180	39220	49557	88777
2018-19	77021	22988	21413	44401
2019-20	14110	4282	3457	7739
2020-21	कोविड 19 की परिस्थितिवश प्रशिक्षण का संचालन स्थगित है।			
2021-22	706	204	32	236
कुल	467565	115856	139600	255456

14.11.5 राष्ट्रीय शिक्षु प्रोन्नति योजना (NAPS) योजना :- भारत सरकार के शिक्षुता अधिनियम 1961 अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना में आंशिक संशोधन करते हुए शिक्षुओं को और अधिक प्रोत्साहित करते हुए कुशल कामगार तैयार करने हेतु वर्ष 2016 से राष्ट्रीय शिक्षु प्रोन्नति योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme) योजना प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं/केन्द्रों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने (उत्तीर्ण) वाले प्रशिक्षणार्थियों को उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में उत्पादन/वास्तविक कार्य के साथ संलग्न कर संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल www.apprenticeship.gov.in का निर्माण किया गया है, तथा अनुश्रवण हेतु राज्य में विभिन्न स्तर पर पदेन शिक्षुता सलाहकार नियुक्त किया गया है। पोर्टल के माध्यम से उद्योगों एवं शिक्षुओं का पंजीयन कर ऑनलाईन अनुबंध कराया जाता है। शिक्षुओं को योजनान्तर्गत प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति का 25 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। साथ ही बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर(बीटीपी) के रूप में पंजीकृत उद्योगों को प्रति शिक्षु राशि रुपये 7,500/- केन्द्र सरकार द्वारा प्रदाय किया जाता है।

तालिका क. 14.25 राष्ट्रीय शिक्षु प्रोन्नति योजना अंतर्गत शिक्षु नियोजन				
क्र.	क्षेत्र/प्रतिष्ठान	पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या	स्वीकृत स्थान	नियोजित प्रशिक्षु
1	निजी प्रतिष्ठान	657	1426	819
2	सार्वजनिक प्रतिष्ठान	16	8934	5528
योग -		673	10360	6347

उच्च शिक्षा

छ.ग. राज्य की विकास यात्रा में उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय रही है। राज्य गठन के बाद जिस तेजी से उद्योगों का संख्या बढ़ी है, यदि मानव संसाधन में सुधार पर ध्यान न दिया जाये तो निश्चित ही इसका लाभ अंचल के लोगों को नहीं मिल सकेगा। यह तभी संभव होता है जब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिणामात्मक एवं गुणात्मक विस्तार एवं सुधार किया जाता। अपने गठन के समय से ही छ.ग. राज्य उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में सतत् प्रयत्नशील है एवं उच्च शिक्षा विभाग राज्य के प्रत्येक युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं राज्य की उच्च शिक्षा को नया स्वरूप प्रदान करने की दिशा में विभाग अग्रसर है।

1. राज्य गठन के समय 03 विश्वविद्यालय, 116 शासकीय महाविद्यालय एवं 74 अशासकीय महाविद्यालय थे। वर्तमान में छ.ग. राज्य में 09 राजकीय विश्वविद्यालय, 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 14 निजी विश्वविद्यालय, 277 शासकीय महाविद्यालय, 12 शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 256 अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं।
2. उक्तानुसार संचालित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा को गति प्राप्त हो रही है और प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की स्थापना की गयी है।
3. राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2020-21 में लगभग लगभग 2,59,451 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत थे। जिसमें स्नातक स्तर पर 2,24,064 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 35,387 विद्यार्थीगण अध्ययनरत हैं। उक्त छात्र संख्या में 28,771 सामान्य वर्ग, 40,974 अनु. जाति, 59,756 अनु.ज.जा. तथा 1,29,950 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राएं शामिल हैं।
4. सत्र 2021-22 में 24 नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें 08 नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय भी शामिल हैं। उक्त 24 नवीन शासकीय महाविद्यालयों हेतु कुल 792 शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों का सृजन भी किया गया है।
5. सत्र 2021-22 में स्थापित 05 शासकीय आदर्श महाविद्यालयों (रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकर एवं जगदलपुर) हेतु कुल 165 शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों का सृजन भी किया गया है।
6. वर्ष 2020-21 में कुल 22 नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की गई है। वर्ष 2021-22 में आज दिनांक तक 09 नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है।

7. प्रदेश में संचालित कुल 12 अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को शासन द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान प्रदत्त किया गया है।
8. सत्र 2020-21 में प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात (G.E.R.) 18.6 है।
9. **“राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC)” द्वारा मूल्यांकन:**— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमन 2012 के प्रावधानानुसार राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों का नैक द्वारा प्रत्यायन कराया जाना अनिवार्य है। 170 शासकीय महाविद्यालयों को नैक से मूल्यांकन की पात्रता है। मार्च 2022 तक 100 महाविद्यालयों का I.I.Q.A एवं SSR जमा करवा नैक से मूल्यांकन करवा लिया जाएगा।
10. **राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS):**— केन्द्र शासन द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के अंतर्गत छ. ग. राज्य हेतु कुल 95,800 छात्र संख्या का आबंटन किया गया है। उक्त आबंटित छात्र संख्या हेतु वर्ष 2020-21 में राशि 3,41,27,750 /—रु. का आबंटन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। जिसमें संपूर्ण राशि व्यय की जा चुकी है। वर्ष 2021-22 हेतु राशि 3,41,15,293 /—रु. का आबंटन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है।
11. **बी.पी.एल. बुक बैंक योजना :**— यह योजना राज्य शासन द्वारा वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई थी। इस योजनांतर्गत बी.पी.एल छात्र-छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें महाविद्यालय द्वारा क्रय कर प्रदान की जाती हैं। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए राशि 50,00,000 /—रु. का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध राशि 45,75,074 /—रु. व्यय किया गया। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए राशि 50,00,000 /—रु. का प्रावधान किया गया।
12. **अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिये मुफ्त स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करना :**— इस योजना के अंतर्गत अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान की जाती है। जिसमें स्नातक स्तर पर रु. 50 /— प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी एवं रु. 600 /— प्रति दो विद्यार्थी पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रु. 50 /— प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी एवं रु. 800 /— प्रति दो विद्यार्थी पुस्तकें देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-41 में 83,00,000 /—रु. का प्रावधान था, जिसके विरुद्ध 75,83,403 /—रु. व्यय किया गया एवं मांग संख्या-64 में 1,10,00,000 /—रु. का प्रावधान था जिसके विरुद्ध 80,68,836 /— लाख रु. व्यय किया गया। वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-41 अनु.जनजाति में 85,00,000 /—रु. का प्रावधान एवं मांग संख्या-64 अनुसूचित जाति में 1,10,00,000 /—रु. का प्रावधान किया गया है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

13. **बी.पी.एल. छात्रवृत्ति :-** उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा अंतर्गत जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के छात्रों हेतु बी.पी.एल. छात्रवृत्ति सत्र 2005-06 से प्रदान की जा रही हैं जिसमें स्नातक स्तर के छात्रों को 300/-रु. प्रतिमाह की दर से 10 के लिए कुल 3,000/-रु. एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को 500/-रु. प्रतिमाह की दर से 10 के लिए कुल 5,000/-रु. प्रति छात्र की दर से प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020-21 में छात्रों को राशि 6,00,00,000/-रु. की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वर्ष 2021-22 हेतु राशि रु 6,00,00,000/- का प्रावधान किया गया है।

तालिका क. 14.26 छात्र संख्या वर्षवार एवं संवर्गवार			
संवर्ग	वर्ष 2020-21		
	छात्र	छात्रा	योग
सामान्य वर्ग	10073	18698	28771
अनु.जाति	17606	23368	40974
अनु.जनजाति	23132	36624	59756
अन्य पि.वर्ग	51473	78477	129950
कुल	102284	157167	259451

